जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 28-07-2021**

आज दिनांक 28.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना बखिरा पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित 04 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी थाना बखिरा के नेतृत्व में आज दिनांक 28.07.2021 को मुखबिरखास की सूचना पर मु0अ0सं0 217/21 धारा 376 (D) भा0द0वि0 में वाँछित अभियुक्तगण नाम पता 1- दुर्गेश पुत्र भोलानाथ निवासी सांगठ 2- शैलेन्द्र पुत्र रामदास 3- रामजी चौधरी पुत्र राजबली चौधरी 4- कमलेश यादव पुत्र हीरालाल यादव निवासीगण मलेन थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 26.07.2021 को प्रार्थिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 28.07.2021 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री कल्पनाथ सिंह मय हमराह ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 230/21 धारा 363 / 366 / 376

भा0द0वि0 व 3 / 4 पाक्सो एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता मो0 अयूब पुत्र कमरे आजम निवासी भाटपारा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.07.2021 को वादी की नाबिलग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादी द्वारा दिनांक 25.07.2021 थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 28.07.2021 को थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आनन्द सिंह, हे0का0 कैलाश पाण्डेय ।

02 अदद अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता नियाज अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी छितही थाना महुली हालमुकाम विधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 523/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – हे0का0 सुरेन्द्र कुमार, का0 सतवन्त शाही, का0 राजू गुप्ता।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता बब्लू पुत्र अकबर निवासी मगरहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 376/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री विवेकानन्द तिवारी, हे0का0 माहेश्वरी सिंह, हे0का0 रजनीश पाठक।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1498 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल</u> – पीआरवी <u>1498</u> को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत नरायणपुर से इवेन्ट संख्या 09851 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्ति (सुजीत कुमार पुत्र स्व0 जुगनू व श्रीमती राजदेवी पत्नी स्व0 जुगनू निवासी ग्राम पटवरिया) के घायल के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 07 मिनट में पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 सुभाष यादव, आ0 विमल कुमार, हो0चा0 अखिलेश सिंह ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 66 वाहनो से 49000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 66 वाहनो से 49000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।